तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/4024/2006/भीलवाड़ा सरकार बनाम हरि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थित :-
श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 11-11-2025

हस्तगत रेफरेंस राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 12-5-2006 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, कोटड़ी ने अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आसोप तहसील कोटड़ी में स्थित साबिक बंदोबस्त आराजी खसरा नंबर 655 रकबा 0.10 बीघा एवं आराजी खसरा नंबर 715/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि मंदिर मूर्ति माताजी स्थानदेह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 1041 रकबा 0.14 बीघा व खसरा नंबर 1567 रकबा 4 बीघा कायम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के अनुसार हाल खसरा नंबर 1041 रकबा 0.14 बीघा व खसरा नंबर 1567 रकबा 4 बीघा भूमि पर अप्रार्थी मांगू पिता केला भील 1/2, भैरू पिता देवा 1/2 सा0 देह खातेदार का नाम दर्ज है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अन्तर्गत धारा 46, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विपरीत होने के कारण शून्य एवं अप्रभावी है। भगवान की मूर्ति शाश्वत अवयस्क है, जिसकी भूमि पर अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किए जा सकते। अतः विवादग्रस्त भूमि पूर्व खतौनी संवत् 2011 से 2013 के अनुसार पुनः माफी मन्दिर माताजी स्थानदेह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेंस का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। मंदिर की भूमि पर किसी भी काश्त करने वाले व्यक्ति को कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः ऐसा हस्तातंरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत होने से गैर कानूनी है। अतः रेफरेंस को स्वीकार कर भूमि माफी मन्दिर श्री माताजी स्थानदेह के नाम दर्ज की जावे।

4. हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/4024/2006/भीलवाड़ा सरकार बनाम हरि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा पत्रावली का अवलोकन किया । 5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम आसोप तहसील कोटड़ी में स्थित साबिक बंदोबस्त आराजी खसरा नंबर 655 रकबा 0.10 बीघा एवं आराजी खसरा नंबर 715/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि मंदिर मूर्ति माताजी स्थानदेह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 1041 रकबा 0.14 बीघा व खसरा नंबर 1567 रकबा 4 बीघा कायम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के अनुसार हाल ख.सरा नंबर 1041 रकबा 0.14 बीघा व खसरा नंबर 1567 रकबा 4 बीघा भूमि पर अप्रार्थी मांगू पिता केला भील 1/2, भैरू पिता देवा 1/2 सा0 देह खातेदार का नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने कालान्तर में मंदिर की भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिना किसी विधिक अधिकार एवं प्रक्रिया के अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार उक्त कार्यवाही नियम विरुद्ध होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम 1955) की धारा 45 (4) व धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है और प्रारम्भ से ही शून्य है। राजस्व मण्डल द्वारा अनेक विनिश्चयों में मूर्ति मन्दिर को एक शाश्वत नाबालिग माना गया है। मन्दिर की भूमि पर सदैव मूर्ति मन्दिर का ही कब्जा माना जावेगा। इस प्रकार विवादित भूमि जो मंदिर की है, के बाबत रेकार्ड में जो रद्दोबदल हुआ है, वह बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। यदि पुजारी द्वारा राजस्व रेकार्ड में मन्दिर का नाम हटवा कर भूमि अपने नाम करवा ली गई हो, तो भी उसका यह कृत्य माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णयों में पारित विनिश्चय के अनुसार प्रभाव शून्य है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है (स्थाई नाबालिग) है। ऐसी मंदिर की भूमि को उसके हित रक्षक पुजारी के खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। मूर्ति मंदिर के विधिक प्रतिनिधि मंदिर की भूमि का बेचान भी नहीं कर सकते है। मूर्ति मंदिर की भूमियों पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कोई व्यक्ति खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। 6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ 1 ''रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल'', आर. आर.डी. 1987 पृष्ठ 261 पर माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ एवं ए.आई.आर.2008(एनओसी) 2850 (राज.) एवं ए.आई.आर. 2007(एनओसी) 1742 (राज) मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यही विधिक स्थिति पुष्ट होती है। ऐसी स्थिति में पुजारी अथवा काश्तकार को मन्दिर की भूमि पर स्वयं को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न ही वह बेचान कर सकता है। मन्दिर की भूमि पर कोई भी मूर्ति की ओर से काश्त करे। कब्जा सदैव मूर्ति मन्दिर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/4024/2006/भीलवाड़ा सरकार बनाम हरि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का ही माना जावेगा, जो शाश्वत नाबालिग है। इस प्रकार विवादित भूमि जो मंदिर की है, के बाबत रेकार्ड में जो रद्दोबदल हुआ है, वह बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। 7. उक्त विवेचन के आलोक में यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम आसोप तहसील कोटड़ी में स्थित आराजी खसरा नंबर 655 रकबा 0.10 बीघा एवं आराजी खसरा नंबर 715/1 रकबा 2.03 बीघा के बने हाल खसरा नंबर 1041 रकबा 0.14 बीघा एवं आराजी खसरा नंबर 1567 रकबा 4 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में जहां-जहां भी अप्रार्थीगण के नाम का अंकन है, उसे खातेदारी से हटाया जावे तथा इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत समस्त नामांतरकरण भी निरस्त किये जाते हैं। वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री माताजी स्थानदेह के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर, बाद आवश्यक कार्यवाही, अभिलेखागार में भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश सिंह)** **सदस्य**	